# DIRECTORATE OF HIGHER EDUCATION

Himachal Pradesh, Shimla – 171001.

3 MAY 2015

## Press Release 2015-16

Online Scholarship Applications are invited in r/o the following Centrally Sponsored Scholarship Schemes, being run by the Education Department in Himachal Pradesh, for the year 2015-16, through the Online Scholarship Management System (OSMS), through the URL / Website <a href="http://www.momascholarship.gov.in">http://www.momascholarship.gov.in</a>as per the schedule provided below:

## 1. Merit-cum-Means Scholarship Scheme for Students belonging to the Minority Community (Centrally Sponsored Scheme):-

This Scholarship is given to pursue *Degree / Post-graduate level Technical Professional Courses from Recognized Institutions*, to the students belonging to the *Minority Groups (Muslim - 37, Sikh - 22, Christian - 2, Budhhist - 24, Total = 85 Students)*. The *annual income of the parent or guardian of the beneficiary should not exceed ₹ 2.50 Lacs*, from all sources and the student should not have secured less than 50% marks or equivalent grade in the previous final examination.

# Schedule for the Online Submission of Fresh & Renewal Scholarship Applications Forms (Merit-cum means Minority Scholarship):

Sr.No.	Activities	Date (Fresh)	Date (Renewal)
1.	Submission of Online Applications for Fresh/Renewal Scholarship by Students.	01 <sup>th</sup> June to 30 <sup>th</sup> September, 2015	01 <sup>th</sup> June to 15 <sup>th</sup>
2.	Scrutiny of Online Application by Institute.	01 <sup>th</sup> June to 20 <sup>th</sup> October, 2015	November, 2015 01 <sup>th</sup> June to 25 <sup>th</sup>
3.	Scrutiny of Online Application by State/UT Administration.	01 <sup>th</sup> June to 31 <sup>st</sup> October, 2015	November, 2015 01 <sup>th</sup> June to 5 <sup>th</sup>
4.	Generation of Merit list and submission of Fresh/Renewal proposals by State/UT Administration.	01 <sup>th</sup> November to 05 <sup>th</sup> November, 2015	December, 2015 01 <sup>th</sup> June to 7 <sup>th</sup> December, 2015

# 2. <u>Post-Matric Scholarship Scheme for students belonging to the Minority Community (Centrally Sponsored Scheme):-</u>

This Scholarship will be given from XI to Ph.D. Level in Govt. / Recognized Private Schools / Colleges / Institutes, including Technical/Vocational Courses, to the students belonging to the Minority Groups (Muslim – 309, Sikh – 187, Christian – 20, Budhhist – 196, Parsi – 2, Jain-4, Total = 718=Students). The annual income of the parent or guardian of the beneficiary should not exceed ₹2.00 in the previous final examination. Student must have passed the examination from Govt. / Govt. Aided institutions.

Schedule for the Online Submission of Fresh & Renewal Scholarship Applications Forms (Post-Matric Minority Scholarship):

Sr.N.	Activities	Date (Fresh)	Date (Renewal)
1.	Submission of Online Applications foe Fresh/Renewal Scholarship by Students.	01 <sup>th</sup> June to 15 <sup>th</sup> September, 2015	01 <sup>th</sup> June to 10 <sup>th</sup>
2.	Scrutiny of Online Application by Institute.	01 <sup>th</sup> June to 05 <sup>th</sup> October, 2015	October, 2015 01 <sup>th</sup> June to 31 <sup>th</sup>
3.	Scrutiny of Online Application by State/UT Administration.	October, 2015  01 <sup>th</sup> July to 15 <sup>st</sup> October, 2015	October, 2015 01 <sup>th</sup> July to 08 <sup>th</sup> November, 2015

Generation of Merit list and submission of 01<sup>th</sup> July to 11<sup>th</sup> 16th October to 18th Fresh/Renewal proposals by State/UT October, 2015 November, 2015 Administration.

#### NOTES:

1. Only Online applications under these Scholarship Schemes will be accepted and no request for accepting Offline applications will be entertained.

2. Only the students, who were awarded Scholarship under this scheme during 2014-15, can apply

for renewal of Scholarship in 2015-16.

3. Applicants are advised to take a print-out of the duly filled-in application forms, after submitting it Online through OSMS, and to send it along with all supporting documents through their respective institutes to this Directorate. Without the receipt of hard copy in this Directorate, the application shall be liable to be rejected.

4. Applicants are advised to enter proper AADHAAR & Bank Details (Bank & Branch Name, Account No. & IFS Codes), while filling the Online Application Forms, failing which their

Scholarship amounts may not be credited into their Bank Accounts.

5. Uploading of documents by students are made mandatory for Fresh and Renewal cases under Merit-cum-Means based Scholarship Scheme (MCM). Scrutiny of online applications on the basis of the uploaded documents will be done by the respective Universities/Colleges/Institutions.

6. Uploading of mandatory for Renewal cases while for Fresh cases hardcopies of documents will be submitted by the students to the respective Universities/Colleges/Institutions. Scrutiny of the online applications in case Renewal may be done on the basis of uploaded documents; while in case of Fresh cases Scrutiny may be done on the basis of submitted hardcopies under the Post Matric Minority Scheme.

For detailed information & conditions related to the above Centrally Scholarship Schemes, being implemented by the Education Department, logon to the Scholarship Related e-Pass website http://hpepass.cgg.gov.in or the Departmental website http://www.educationhp.org & Telephone No. 0177-2653120 & 2653575.

(Dinkar Burathoki)

Director of Higher Education Himachal Pradesh.

EDN-H(10)A(7)2/2009-Advertisements- Shimla, Endst. No. Copy to:

Dated: May, 2015

1. The Director, All India Radio Centre, Shimla.

2. The Director, Doordarshan Centre, Shimla.

✓3. The Editor, The Tribune Newspaper, Shimla.

44. The Editor, The Indian Express Newspaper, Shimla.

5. The Editor, The Times of India Newspaper, Shimla.

6. The Editor, Hindustan Times Newspaper, Shimla.

7. The T.O., IT Cell, DHE HP, with the request to upload the above Press Release on to the Departmental Website.

(Dinkar Burathoki)

Director of Higher Education

Himachal Pradesh.

## प्रेस विज्ञप्ति 2015-16

उच्चतर शिक्षा निदेशालय द्वारा वर्ष 2015—16 में निम्नलिखित केन्द्रीय प्रायोजित छात्रवृति योजनाएँ सन्चालित की जानी हैं, जिस के लिए पात्र छात्र/छात्राओं से<u>www.momascholarship.gov.in</u> वेबसाईट पर, छात्रवृति हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र, निर्धारित सारणी अनुसार, आमन्त्रित किए जा रहे हैं: —

### 1. अल्प संख्यक वर्ग के लिए मैरिट-कम-मीन्ज छात्रवृति योजनाः-

यह छात्रवृति हिमाचल प्रदेश के स्थाई निवासी अल्प सख्यक समुदाय (मुस्लिम — 37, सिक्ख — 22, ईसाई — 02, बौद्व — 24, कुल = 85)के उन छात्र / छात्राओं को देय होगी, जिनके माता—पिता की वार्षिक आय ₹2,50,000 / — से अधिक न हो व पिछली उतीण की गई परीक्षा में 50 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किये हों। तकनिकी तथा व्यवसायिक मान्यता प्राप्त संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे पात्र छात्र / छात्रा को यह छात्रवृति प्रदान की जाएगी।

नवीन/नवीनीकरण हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र जमा करवाने की सारणी निम्न प्रकार दर्शाई गई है (मैरिट–कम–मीन्ज़): –

क्र संव	कार्यकलाप	तिथि (नवीन)	तिथि (नवीनीकरण)
1.	छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाईन नवीन/नवीनीकरण	01 जून से 30 सिंतम्बर	01 जून से 15 नवम्बर
	आवेदन पत्र को विधिवत भरने की तिथि।	2015	2015
2.	सम्बन्धित संस्थानों द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्रों की	01 जून से 20 अक्तूबर	01 जून से 25 नवम्बर
	जांच करने की तिथि।	2015	2015
3.	राज्य प्रशासन द्धारा ऑनलाईन आवेदन पत्रों की जांच	01 जून से 31अक्तूबर	01 जून से 05दिसम्बर
	करने की तिथि।	2015	2015
4.	वरियता सूचि को जारी करने एवं राज्य प्रशासन से प्राप्त नवीन/नवीनीकरण प्रस्ताव को पेश करने की तिथि।		01 जून से 07 दिसम्बर 2015

### 2. अल्प संख्यंक वर्ग के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृति योजना :-

यह छात्रवृति हिमाचल प्रदेश के स्थाई निवासी अल्प सख्यंक समुदाय (मुस्लिम — 309, सिक्ख — 187, ईसाई — 20, बौद्व — 196, पारसी — 2, जैन—4, कुल = 718)के उन छात्र / छात्राओं को देय होगी, जिनके माता—पिता की वार्षिक आय ₹2,00,000 / — से अधिक न हो व पिछली उर्तीण की गई परीक्षा में 50 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किये हों। छात्र / छात्रा सरकारी / गैर सरकारी / विरि० मा० पाठशाला / महाविद्यालय / विश्व विद्यालय / सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से 11वीं से पी०एच०डी० कोर्स तक की शिक्षा प्राप्त कर रहे हों या तकनिकी तथा व्यवसायिक कोर्स, जो कि एन.सी.वी.टी. से मान्यता प्राप्त हो, कर रहे हों।

नवीन/नवीनीकरण हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र जमा करवाने की सारणी निम्न प्रकार दर्शाई गई है (मैट्रिकोत्तर छात्रवृति): —

क्र सं०	कार्य	तिथि (नवीन)	तिथि (नवीनीकरण)
1.	छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाईन नवीन/नवीनीकरण	01 जून से 30 सिंतम्बर	01 जून से 15 नवम्बर
	आवेदन पत्र को विधिवत भरने की तिथि ।	2015	2015
2.	सम्बन्धित संस्थानो द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्रों की	01 जून से 20 अक्तूबर	01 जून से 25 नवम्बर
	जांच करने की तिथि ।	2015	2015
3.	राज्य प्रशासन द्धारा ऑनलाईन आवेदन पत्रों की जांच	01 जून से 31 अक्तूबर	01 जून से 05 दिसम्बर
	करने की तिथि	2015	2015
4.	वरियता सूचि को जारी करने एवं राज्य प्रशासन से	01 नवम्बर से 05 नवम्बर	01 जून से 07 दिसम्बर
	प्राप्त नवीन / नवीनीकरण प्रस्ताव को पेश करने की	2015	2015
	तिथि		

### टिप्पणीयां : -

- 1. इन छात्रवृति योजनाओं के अर्न्तगत केवल ऑनलाईन आवेदन ही मान्य होंगे। ऑफलाईन आवेदन करने हेतु कोई भी निवेदन स्वीकार्य नहीं होगा।
- 2. केवल उन आवेदकों के छात्रवृति आवेदन पत्र 2015—16 में नवीनीकरण हेतु स्वीकार किए जाऐंगे, जिन्हें 2014—15 में इन योजनाओं के अर्न्तगत छात्रवृति राशि आवंटित की गई है।

- 3. आवेदकों को परामर्श दिया जाता है कि वे ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के उपरान्त ऑनलाईन आवेदन पत्र की मुद्रित प्रति प्राप्त कर, उसे सम्बन्धित संस्थान के माध्यम से, सभी आवश्यक दस्तावेजों सहित, इस निदेशालय में जमा करवायें। ऑनलाईन आवेदन पत्र की मुद्रित प्रति इस निदेशालय में प्राप्त न होने की स्थिति में आवेदन अस्वीकार्य होगा।
- 4. आवेदकों को परामर्श दिया जाता है कि वे ऑनलाईन आवेदन पत्र भरते समय सही AADHAAR सूचना (UID / EID) और बैंक सम्बन्धित सूचना (बैंक और शाखा का नाम, खाता संख्या और IFS कोड) उपलब्ध करवायें, अन्यथा वे छात्रवृति राशि से वंचित रह सकते हैं।
- 5. छात्र/छात्राओं द्वारा मैरिट-कम-मीन्ज अल्प सख्यक छात्रवृति योजना के अर्न्तगत नवीन/नवीनीकरण आवेदन पत्र के साथ दस्जावेजों को अपलोड करना अनिवार्य है। सभी विश्वविधालय/महाविधालय/संस्थानों से अनुरोध है कि वह छात्र/छात्राओं के ऑनलाईन भरे गए आवेदन पत्रों के दस्जावेजों की जांच सही रूप से करें। यदि संस्थान व छात्र/छात्राएं अपने दस्जावेजों को ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ अपलोड नहीं करते है तो आवेदन पत्र रदद हो जाएगा। जिसके लिए संस्थान व छात्र/छात्राएं स्वयं जिम्मेवार होंगे। सभी संस्थानों द्वारा ऑनलाईन भरे गये सभी आवेदन पत्रों की सूची सत्यापित करने के उपरान्त शिक्षा निदेशालय में जमा करवाना अनिवार्य है।
- 6. छात्र/छात्राओं द्वारा मेट्रिकोत्तर अल्प सख्यक छात्रवृति योजना नवीनीकरण आवेदन पत्र के साथ दरजावेजों को अपलोड करना तथा नवीन आवेदन पत्रों के साथ आवश्यक दरजावेज सम्बन्धित सस्थान में जमा करवाना अनिवार्य है । सभी विश्वविधालय/महाविधालय/विधालय/संस्थानों से अनुरोध है कि वह छात्र/छात्राओं के ऑनलाईन भरे गए नवीनीकरण आवेदन पत्र की अपलोड किए गए दरजावेजों की जांच सही रूप से करें तथा मेट्रिकोत्तर छात्रवृति के अर्न्तगत नवीन भरे गये आवेदन पत्रों व जमा किये गये दर्स्जावेजों की सही रूप से जांच करने के उपरान्त शिक्षा निदेशालय में जमा करवाएं। सभी विश्वविधालय/महाविधालय/ विधालय/संस्थानों द्वारा ऑनलाईन भरे गये सभी आवेदन पत्रों की सूची सत्यापित करने के उपरान्त शिक्षा निदेशालय में जमा करवाना अनिवार्य है।

उपरोक्त केन्द्रीय प्रायोजित छात्रवृति योजनाओं से सम्बन्धित अधिक जानकारी के लिए छात्रवृति से सम्बन्धित, ई-पास वेबसाईट <a href="http://hpepass.cgg.gov.in">http://hpepass.cgg.gov.in</a> या इस निदेशालय की वेबसाईट www.educationhp.org पर लॉगऑन करें तथा द्वरभाष न0 0177-2653120 व 2653575 से संपर्क करें ।

(दिनकर बुडाथोकी ) शिक्षा निदेशक (उच्चतर) हिमाचल प्रदेश।

दिनांक: 13 मई, 2015

पृष्ठांकन सं० ई.डी.एन —एच (10)ए(7)2/2009—प्रैस विज्ञप्ति प्रतिलिपियां : —

1. निदेशक, आकाशवाणी केन्द्र, शिमला।

2. निदेशक, दूरदर्शन केन्द्र, शिमला।

- 3. सम्पादक, दैनिक भास्कर समाचार पत्र, शिमला।
- 4. सम्पादक, अमर उजाला समाचार पत्र, शिमला।
- 5. सम्पादक, आपका फैसला समाचार पत्र, शिमला।
- 6. सम्पादक, पंजाब केसरी समाचार पत्र, शिमला।
- 7. सम्पादक, दैनिक जागरण समाचार पत्र, शिमला।
- 8. सम्पादक, दिव्य हिमाचल समाचार पत्र, शिमला।
- 9. सम्पादक, हिमाचल दस्तक समाचार पत्र, शिमला।

10 तकनीकि अधिकारी, आई.टी. सैल से अनुरोध है कि, उक्त प्रैस विज्ञप्ति को विभाग की वैबसाईट पर अकित करने की कृपा करें।

> (दिनकर बुरुाथोकी ) शिक्षा निदेशक (उच्चतर) हिमाचल प्रदेश।